सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK76565206681671S
Certificate Issued Date	:	15-Jul-2020 04:35 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1203504/ HARIDWAR/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120350456061152552356S
Purchased by	:	MONIK DHAWAN
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	MONIK DHAWAN
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	MONIK DHAWAN
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

SURENDRA KUMAR SAINI
Stamp Vender
Lic. No. 55/95
Tehsil Campus Haridwar

-------------------- Please write or type below this line --------------------

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

—: शपथ पत्र :—

समक्षः— जिला पर्यटन विकास अधिकारी / संयोजक जिला पंजीकरण एवं वर्गीकरण समिति
"अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना" हरिद्वार।

मैं मोनिक धवन पुत्र श्री सुभाष चन्द निवासी ए–14 मां गंगा हवेली, श्रीराम नगर, रेलवे स्टेशन के ज्वालापुर, हरिद्वार शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ —

1— यह कि मेरा नाम व पता सब सच व सही है तथा उपरोक्त पते पर स्थायी रूप से सपरिवार निवास करता हूं।

2— यह कि मैं / मेरा परिवार जिस भवन में निवास करता है, उस भवन के 05 कक्षों को मेरे द्वारा होम स्टे योज अन्तर्गत दिनांक 03 अप्रैल, 2018 से 02 वर्षो के लिये पंजीकृत करवाया गया था, जिसका पंज संख्या–01 / H.S/HDWR है।

3— यह कि उक्त पंजीकरण की अवधि दिनांक 02 अप्रैल, 2020 को समाप्त होने के कारण मैं इसके नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं।

4— यह कि उक्त भवन में पूर्व की भांति वर्तमान में भी मेरा / मेरे परिवार का निर्विवाद रूप से स्वामित्व एवं पूर्णरूप से कब्जा है। जिसमें अपने निवास के अतिरिक्त अवस्थित 05 कक्षों को यात्रियों / पर्यटकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना के अन्तर्गत पंजीकृत भवन की पंजीकरण अवधि समाप्त होने के कारण पुनः नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हू।

5— यह कि उक्त योजना के अन्तर्गत पूर्व पंजीकरण के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ भवन के निर्विवाद रूप से स्वामित्व की पुष्टि हेतु रजिस्ट्री / बैनामा / जलकर रसीद / बिजली का बिल / नगरपलिका की रसीद की जो छायाप्रतियां सलग्न की गयी थी वह सब सही थीं। भवन स्वामित्व से सम्बन्धित कोई भी विवाद न्यायालय आदि में न कभी पूर्व में था न ही वर्तमान मे है।

6— यह कि प्रस्तावित भूमि के निर्विवाद स्वामी होने की पुष्टि हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत / संलग्न दस्तावेज पूर्णतया वैध एव सही हैं आवश्यकता पड़ने पर उक्त भवन के निर्विवाद स्वामित्व को सिद्ध करने का पूर्ण दायित्व मेरा होगा। स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद के लिये शपथकर्त्ता / आवेदनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।

7— यह कि होम स्टे योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु प्रस्तावित उक्त भवन के स्वामित्व से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होने अथवा आवश्यकता पड़ने पर यदि मैं उक्त भवन पर अपना / मेरे परिवार का स्वामित्व सिद्ध करने में असफल रहता हूँ तो ऐसी दशा में जिला स्तरीय पंजीकरण समिति / पर्यटन विभाग को मेरा आवेदन पत्र एवं पंजीकरण / नवीनीकरण होने की दशा में पंजीकरण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। समिति / पर्यटन विभाग के निर्णय के खिलाफ मुझे कोई भी कानूनी अथवा किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।

8— यह कि शपथकर्ता द्वारा उक्त भवन में मानकों के अनुरूप अग्निरोधक यंत्र संयोजित हैं।

9— यह कि उक्त भवन के निर्माण / मानचित्र स्वीकृति / रोड साइड कन्ट्रोल एक्ट आदि के आधार पर यदि सक्षम प्राधिकारी / राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय / कार्यवाही की जाती है तो जिला स्तरीय पंजीकरण समिति / पर्यटन विभाग को मेरा आवेदन पत्र एवं पंजीकरण होने की दशा मे पंजीकरण / नवीनीकरण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10— यह कि शपथकर्त्ता द्वारा उक्त योजना के संचालन से सम्बन्धित सभी सम्बन्धित विभागो / सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।।

11— यह कि शपथकर्त्ता द्वारा उक्त योजना से सृजित आस्ति / प्रतिष्ठान के क्रियान्वयन / संचालन में पर्यावरण की सुरक्षा / स्वच्छता एवं प्रदूषण नियन्त्रण का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

12— यह कि होम स्टे योजना के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये भवन में विदेशी पर्यटको के ठहरने पर उनके पासपोर्ट / वीजा इत्यादि का विवरण सम्बन्धित अनुरक्षित पंजिका में किया जायेगा तथा फार्म सी0 में विवरण सम्बन्धित विभाग यथा स्थानीय अभिसूचना इकाई / पर्यटन विभाग द्वारा ससमय उपलब्ध करवाया जायेगा।

13— यह कि उक्त भवन में किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों (यथा यात्रा पैकेज, ट्रैवल एजेन्सी, हस्तशिल्प विक्रय केन्द्र) का संचालन नहीं किया जायेगा एवं योजनान्तर्गत पंजीकृत किये गये कक्षों के अतिरिक्त अन्य कक्षों को किराये पर नही दिया जायेगा और होटल की भांति उक्त आवास में स्वागत पटल भी नही लगाया जायेगा।

14— यह कि शपथकर्ता के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई अपराधिक / असंविधानिक कार्यवाही / मुकदमा आदि दर्ज नहीं है। अर्थात् मेरा चरित्र / चाल चलन उत्तम है।

15— यह कि "अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना" के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने के फलस्वरूप निर्गत प्रमाण पत्र को किसी भी वैधानिक दस्तावेज के रूप में किसी भी न्यायालय आदि में अपने किसी भी स्वामित्व / लीज डीड आदि के दावे के सत्यापन हेतु आधार नहीं बनाया जायेगा।

यह कि पैरा नं0 1 से 15 तक मेरे संज्ञान में सच व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है यदि इसमे कोई भी तथ्य झूठा पाया जाये तो उसकी जिम्मेदारी मुझ शपथकर्ता की होगी तथा उपरोक्त बिन्दुओं मे किसी भी तथ्य के झूठा पाये जाने के आधार पर यदि किसी भी विभाग / प्राधिकरण अथवा न्यायालय / न्याय पालिका द्वारा उक्त योजना से सम्बन्धित किसी भी स्तर पर मेरे विरुद्ध कोई जांच अथवा कार्यवाही / कानूनी कार्यवाही की जाती है तो जिला स्तरीय पंजीकरण समिति / पर्यटन विभाग को मेरा आवेदन पत्र निरस्त करने एवं पंजीकरण / नवीनीकरण होने की दशा में पंजीकरण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

आज दिनांक–..........12.6.21 को मैं शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गई शपथ पत्र की समूची इबारत का सही व सत्य होना कबूल करता हूँ।

Monik

हस्ताक्षर शपथकर्ता
मोनिक धवन पुत्र श्री सुभाष चन्द
निवासी ए–14 मां गंगा हवेली, श्रीराम नगर,
रेलवे स्टेशन के सामने ज्वालापुर, हरिद्वार